

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2016

विषय:- बाढ़ के दौरान तैनात नाविकों को दैनिक मजदूरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर द्वारा निर्गत आदेश संख्या-1021-26/प्रवर्तन-(म०भ०)/2013, दिनांक 01.04.2013 में अर्द्धकुशल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी रु० 218.17 निर्धारित की गयी थी। उक्त के क्रम में नाविकों को अर्द्धकुशल कर्मचारी की परिधि में मानते हुये शासनादेश संख्या-2797/1-10-2013-33(143)/2013, दिनांक 10.09.2013 द्वारा नाविकों की मजदूरी रु० 218.17 प्रतिदिन निर्धारित की गयी है।

2- यह उल्लेख करना है कि श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर के आदेश संख्या-1290-1317/प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/2015, दिनांक 26.09.2015 द्वारा अर्द्धकुशल कार्मिकों की दैनिक मजदूरी रु० 305.00 निर्धारित की गयी है।

3- तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ के दौरान राहत कार्य हेतु नियुक्त/रखे गये नाविकों को रु० 218.17 के स्थान पर रु० 305.00 प्रतिदिन की दर से मजदूरी प्रदान की जाय। उक्त दर दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-1205/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।